BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 534 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAMLAL SINGH .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Response on behalf of UPPCB.	1 – 3
2.	**Annexure-A** True copy of Inspection Report dated 06.02.2026 alongwith Annexure.	4 - 26

NEW DELHI
DATE: 10.02.2026

(PRADEEP MISRA& DALEEP DHYANI)
Counsel for UPPCB,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

FIVE RUPEES NOTARIAL NOTARIAL

Girijesh Kumar Gupta NOTARY

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 534 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAMLAL SINGH .... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ....RESPONDENTS

RESPONSE ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ashutosh Chauhan, S/o. Late Shri Ratan Singh Chauhan, aged about 45 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur, U.P. at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and record of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That the abovenoted Original Application came up for hearing on 14.11.2025 when this Hon'ble Tribunal pleased to issue following directions:

> "4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing

NOTARY ★ GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★ Girijesh Kumar Gupta Civil Court, Gorakhpur H. O. Gorakhpur Regd. No.-37(43)/2000

Girijesh Kumar Gupta 9/2/26
NOTARY
GORAKHPUR

through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

5. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. List on 11.02.2026."

3. That in compliance of the aforesaid order passed by this Hon'ble Tribunal the Regional Office of U.P. Pollution Control Board inspected the pond (Pokhari) on 30.01.2026.

4. That at the time of inspection of the said pond it was found that in the East and North directions of the pond (Pokhri) there is an agricultural land and in the South and West direction of the said pond, encroachment has been found in the form of pucca houses. In the bank of the pond pucca houses have been constructed and the domestic waste water generated from the said houses was found to be ultimately discharged in the pond without treatment. At the time of inspection the water samples were collected and analyzed in the Regional Office, Laboratory of the U.P. Pollution Control Board. True copy of the inspection report dated 06.02.2026 alongwith its annexures is being enclosed herewith and marked as **Annexure-A**.

From the analysis report it is clear that water quality of pond is of Class D.

NOTARY GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA)
Girijesh Kumar Gupta
Civil Court, Gorakhpur
H. O. Gorakhpur
Regd No-37(43)/2000

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR
9/2/26

5. That 12 cases for eviction are pending against various persons in the Court of Tehsildar Deoria.

The above facts are being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

<u>VERIFICATION</u>:

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 9th DAY OF FEBRUARY, 2026 AT NEW DELHI.

DEPONENT

Identified the signature of Ashutosh Chauhan He signed before me [illegible] Adv

[illegible] Adv
9/2/26

NOTARY ★ Girijesh Kumar Gupta Civil Court, Gorakhpur H.O. Gorakhpur Regd. No.-37(43)/2000 GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★

No. 218/26

Solemnly affirmed before me on [illegible] at [illegible] 9-2-2026 [illegible] Ashutosh Chauhan

the deponent who is identified by Shri [illegible] Adv

I have satisfied myself by examining the deponent that he/she understands the contents of this affidavit which has been read over and explained by me

[illegible] 9/2/26
Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE/REPLY ON BEHALF OF REGIONAL OFFICER, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GORAKHPUR

Reference: O.A. No. 534/2025; Ram Lal Singh V/s State of U.P. & others order dated 14.11.2025

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

This Response/Reply has been prepared on behalf of REGIONAL OFFICER, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GORAKHPUR in compliance of order dated 14.11.2025 passed by Hon'ble N.G.T., New Delhi in the matter of O.A. No. 534/2025 Ram Lal Singh V/s State of U.P. & Others. The related portion of the order is as given below:-

"... *4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.*

5. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. List on 11.02.2026. ....."

In compliance of Hon'ble N.G.T. order dated 14.11.2025 the site inspection was done on dated 30.01.2026. At the time of inspection Photograph of the pond (Pokhari) taken is annexed as **annexure-1**

At the time of inspection it was found that East & North direction of the pokhari there is agricultural land and in the South & West direction encroachment in the form of Pucca Houses was observed. Several people have made Pucca House on the bank of the pokhari. Domestic waste water generated from the houses situated on the South & West bank of the pokhari was ultimately discharging in pokhari without any treatment. At the time of inspection water sample of the pokhari was collected & analyzed in to Regional Office, Laboratory. The detail analysis report is as given below:-

S. No.	Parameter	Unit	Results
1	pH	-	7.57
2	Conductivity	µS/cm	464
3	Dissolved Solids	mg/l	308
4	Hardness	mg/l	240
5	Calcium	mg/l	172
6	BOD	mg/l	5.2
7	COD	mg/l	20
8	DO	mg/l	6.4

From the above table it is clear that water quality of pokhari is meeting Class-D as per the Manual for Water Testing Kit: 1997-CPCB. Copy of the analysis report and concerned page of the Manual for Water Testing Kit: 1997-CPCB is annexes as **annexure-02**.

The water of the pokhari is suitable for propagation of wild life and fisheries.

The domestic waste water discharged from houses situated on the West & South bank of the pokhari is deteriorating the water quality of the pokhari.

As per revenue record Gata No. of pokhari (waterbody) is 196 & area of the pokhari is 0.401 hectare. Present area of the pokhari is not clear due to encroachment on the West & South bank of the pokhari. The detail report revenue department regarding pokhari situated in Vill- Phulehra, Tapp- Nagwa, Pargana- Shahjahanpur, Tehsil- Sadar, Distt- Deoria is enclosed as **annexure-03**.

As per the report of Tehsildar, Tehsil-Sadar, Distt- Deoria 12 villagers has made encroachment on the land of the pokhari. Status report regarding the revocation of the encroachment is mentioned in the report of the Tehsildar, Sadar, Deoria.

As per the report of the Tehsildar, order for the removing encroachment from the Gram Sabha Pond (pokhari) has been passed & notices has been sent to the concerned persons for removing encroachment from the pokhari land with 15 days.

In case of few encroachers case is pending in the Hon'ble Court of Tehsildar, (Judicial), Deoria. Next date of hearing is 10.02.2026.

The pokhari works as natural recharging source in the rural areas and it is utilized by the local community for ecological, cultural & social purposes. The encroachment on the pokhari land is defeating the purpose. Encroachment on the pokhari land should be removed so that it may work in natural way for recharging the ground water.

The above response/reply in compliance of order dated. 14.11.2025 passed in O.A. No. 534/2025 Ram Lal Singh V/s State of U.P. & Others is submitted for further necessary action.

Enclosure: as above

06/02/2026 06/02/2026

(Ram MilanVerma)
Scientific Assistant

(Purnaditya Pratap Singh)
Assistant Environmental Engineer

Regional Officer

Annexure No. 1

APPENDIX- III

Primary Water Quality Criteria for the Designated Best-use

Designated Best-Use	Class of Water	Criteria
Drinking Water source without conventional treatment but after disinfection	A	1. Total Coliform organism MPN/100ml shall be 50 or less.
		2. pH between 6.5 and 8.5.
		3. Dissolved Oxygen 6 mg/l or more.
		4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C (or) 3 days 27°C 2 mg/l or less.
Outdoor bathing (Organised)	B	1. Total Coliform organism MPN/100ml shall be 500 or less.
		2. pH between 6.5 and 8.5.
		3. Dissolved Oxygen 5 mg/l or more.
		4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C (or) 3 days 27°C 3 mg/l or less.
Drinking water sources	C	1. Total Coliform organism MPN/100ml shall be 5000 or less.
		2. pH between 6 to 9.
		3. Dissolved Oxygen 4 mg/l or more.
		4. Biochemical Oxygen Demand 5 days 20°C (or) 3 days 27°C 3 mg/l or less.
Propagation of Wild life, Fisheries	D	1. pH between 6.5 and 8.5.
		2. Dissolved Oxygen 4 mg/l or more.
		3. Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less.
Irrigation, Industrial cooling, controlled waste	E	1. pH between 6.0 and 8.5.
		2. Electrical Conductivity at 25°C micro mhos/cm max. 2250.
		3. Sodium Absorption Ratio (SAR) max. 26.
		4. Boron, Max 2 mg/l.

Source: CPCB- ADSORBS/3/78-79

Annexure No. 3

समक्ष

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

प्रार्थना पत्र सं0–534/2025

रामलाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में शपथ–पत्र।

1– यह कि ग्राम–फुलेहरा, तप्पा–नगवा, परगना–शाहजहाँपुर, तहसील–देवरिया सदर, जनपद–देवरिया में स्थित गाटा संख्या–196, रकवा–0.401हे0 जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम से अंकित है। जैसा कि खतौनी फसली वर्ष 1429–1434 फ0 के खाता संख्या–166 की छायाप्रति, **संलग्नक–1** से स्पष्ट है।

2– यह कि याची द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जे का कथन करते हुए माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– यह कि उक्त के कम में तहसीलदार देवरिया सदर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–504/र0का0–2025–26, दिनांक 07.01.2026 द्वारा नायब तहसीलदार को उक्त गाटे के सम्बन्ध में स्थलीय एवं अभिलेखीय आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जैसा कि कार्यालय तहसीलदार देवरिया सदर, जनपद–देवरिया के पत्र दिनांक 07.01.2026 की छायाप्रति **संलग्नक–2** से स्पष्ट है।

4– यह कि नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2026 को राजस्व टीम द्वारा ग्रामीण जनता की उपस्थिति में मौके का स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित जॉच आख्या दिनांक 03.02.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या–196 (पोखरी), रकवा–0.401हे0 पर ग्राम के कुल 12 व्यक्तियों का अवैध अतिकमण पाया गया, जिनमें से सभी अतिचारियों के विरूद्व न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया एवं न्यायालय तहसीलदार, देवरिया के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद पूर्व में संस्थित किया जा चुका है। उक्त बेदखली वादो की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:–

कमांक	भूमि का प्रकार	गाटा संख्या	वाद संख्या	वादी/प्रतिवादी	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	पोखरी	196	T202205200108950	गांव सभा बनाम प्रेमसागर	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अतिचारी के विरूद्व बेदखली का आदेश पारित किया गया। वर्तमान में अतिचारी द्वारा उक्त बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022 के विरूद्व कायमी का वाद T202405200126887 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।

2	पोखरी	196	T202205200108955	गांव सभा बनाम अनिरूद्व	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया के समक्ष क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।
3	पोखरी	196	T202205200108956	गांव सभा बनाम नथुनी	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया के समक्ष क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का वाद विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई तिथि 10.02.2026 है।
4	पोखरी	196	T202205200108953	गांव सभा बनाम अमित	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 09.09. 2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
5	पोखरी	196	T202205200108954	गांव सभा बनाम नारदमुनि	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 09.09. 2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
6	पोखरी	196	T202205200108957	गांव सभा बनाम प्रदुम्मन	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 09.09. 2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
7	पोखरी	196	T202205200108958	गांव सभा बनाम शम्भू	न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 09.09. 2022 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
8	पोखरी	196	T202305200104215	गांव सभा बनाम निजामुद्दीन	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 17.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
9	पोखरी	196	T202305200104216	गांव सभा बनाम फिरोज	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।

10	पोखरी	196	T202305200104217	गांव सभा बनाम कामेश्वर	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
11	पोखरी	196	T202305200104218	गांव सभा बनाम बूटन	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।
12	पोखरी	196	T202305200104219	गांव सभा बनाम सुरेश	न्यायालय तहसीलदार देवरिया द्वारा अतिचारी के विरूद्व दिनांक 16.11.2023 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, वर्तमान में अतिचारी को अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिनांक 02.02.2026 प्रदान किया गया है।

सुलभ अवलोकन हेतु नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित आख्या दिनांक 03.02.2026 एवं नोटिस दिनांक 02.02.2026 एवं नोटिस दिनांक 02.02.2026 की छायाप्रति **संलग्नक–03** के रूप में प्रस्तुत है।

5– यह कि उपरोक्त प्रकरण में 03 अतिक्रमणीयों के विरूद्व बेदखली का वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए शीघ्र आदेश पारित कर दिया जायेगा।

6– यह कि उपरोक्त प्रकरण में शेष 09 अतिक्रमणीयों के विरूद्व क्षतिपूर्ति एवं बेदखली का आदेश पारित करते हुए उन्हे अन्तिम रूप से अपना कब्जा स्वयं हटाने हेतु नोटिस प्रदान किया गया है। नोटिस के माध्यम से प्रदान किये गये समय–सीमा के उपरान्त स्थल से बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7– यह कि हम प्रतिपक्षी प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक बिना शर्त क्षमा याचना करता है तथा माननीय प्राधिकरण के समक्ष दया भाव की आशा रखता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत शपथ पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र उपरोक्त की कार्यवाही इस स्तर पर ही समाप्त करने की कृपा करे।

06/02/26

तहसीलदार
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 189999202602147

ग्राम क्रमांक : 189999 ग्राम का नाम (परगना) : फुलेहरा तप्पा नगवा(शाहजहाँपुर) तहसील : देवरिया जनपद : देवरिया फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00166

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रवंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
196	1) पोखरी / 000000 / नि. ग्राम			196(1899990196000061)	0.4010	1) 1/1	1) 0.4010	0.00
							0.4010	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.4010 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.4010)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रवंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रवंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		196(1899990196000061)			196(1899990196000061)	

(17)भूमि के सम्वन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)वंधक/वंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा वैंक का नाम/कोड/वंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

1) Baroda U.P Bank / 17798 / 09-12-2025 / 163440.00 / 190009592025006517798 / राबड़ी देवी(डेगरी प्रसाद)

(18.2)वंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा वैंक का नाम/कोड/वंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पुर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:Arjun Tripathi(REGISTAR KANOONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 05-02-2026 03:20:03 तहसील : देवरिया
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : GYAN PRAKASH SINGH तहसील : देवरिया
मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-02-2026 03:20:03
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

कार्यालय ... तहसील सदर, देवरिया

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरीत अधिकरण (National Green Tribunal–NGT) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 15 अन्य के क्रम में ग्राम–फुलेहरा, तप्पा–नगवा, परगना–शाहजहाँपुर, तहसील–देवरिया सदर, जनपद–देवरिया में गाटा संख्या–196, रकवा–0.401हे0 जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम अंकित है, पर अवैध अतिक्रमण की जॉच हेतु नायब तहसीलदार बखरा की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया जाता है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम
1	2	3
1	श्री गंगा राम	नायब तहसीलदार
2	श्री दिग्विजय नाथ मिश्र	राजस्व निरीक्षक
3	श्री सत्यप्रकाश सिंह	क्षेत्रीय लेखपाल
4	श्री एहतेशाम आलम	लेखपाल
5	श्री सचिन कुमार शर्मा	लेखपाल
6	श्री दिवाकर झां	लेखपाल
7	श्री विजेन्द्र प्रसाद	लेखपाल
8	श्री राजीव कुमार	लेखपाल

उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे मौके पर उपस्थित रहकर कार्य सम्पादन कराना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
O/C देवरिया सदर

कार्यालय तहसीलदार देवरिया सदर, जनपद–देवरिया।

पत्रांक 504(1-III)/र0का0–2025–26 दिनांक 07 जनवरी, 2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– उपजिलाधिकारी महोदया देवरिया सदर।

2– थानाध्यक्ष महुआडीह को इस निर्देश के साथ कि राजस्व टीम द्वारा किये जा रहे कार्य के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मय महिला पुलिस सहित मौके पर स्वयं उपस्थित रहकर कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करे।

3– सम्बन्धित कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

तहसीलदार
O/C देवरिया सदर।

महोदय,

ग्राम फुलेहरा तप्पा नगवा परगना शाहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया स्थित आराजी सं० 196 रकबा 0.401 हे० जो राजस्व अभिलेख में पोखरी के नाम से दर्ज है के बाबत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं० 534/2025 रामलाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व 15 अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वांछित विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है उक्त के क्रम में स्थल की वस्तु स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु सीमांकन की कार्यवाही हेतु राजस्व टीम नायब तहसीलदार बघरा की अध्यक्षता में निर्धारित की गयी, राजस्व टीम नियत तिथि पर उपरोक्त ग्राम में उपस्थित होकर विवादित गाटे का सीमांकन नियमानुसार किया गया। सीमांकन आख्या निम्नवत है।

अवगत हो कि गाटा सं० 196 रकबा 0.401 हे० पोखरी के नाम से भू-अभिलेख में अंकित है तथा ग्राम फुलेहरा के आबादी से सटे स्थित है अतः उक्त आराजी का सीमांकन स्थायी बिन्दुओं से किया गया जिससे ज्ञात हुआ कि आराजी सं० 196 रकबा 0.401 हे० पर निम्नलिखित ग्रामीणों का कब्जा पाया गया जिनके विरुद्ध पूर्व में बेदखली हेतु धारा 67 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी जो निम्नलिखित है-

क्र०सं०	कब्जेदार का नाम	पिता/पति का नाम	कब्जे का रकबा	कब्जे का प्रकार	कार्यवाही	अन्य विवरण
1.	प्रेमसागर	उदयभान	0.016 हे०	पक्का मकान	वाद सं० 8950/2022	कायमी 26887/2024 दिनांक 24-12-2024
2.	अमित	रामगुदी	0.008 हे०	पक्का मकान	8953/2022	बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022
3.	नारदमुनी	चनर	0.020 हे०	पक्का मकान	8954/2022	बेदखली आ० दिनांक 09.09.2022

Singh 03-02-2026

4.	अनिरुद्ध	चनर	0.016 हे०	पक्का मकान	8955/2022	विचाराधीन नियत तिथि 10.02.2026
5.	नथुनी	रामकिशुन	0.016 हे०	पक्का मकान	8956/2022	विचाराधीन
6.	प्रदुमन	रामाज्ञा	0.012 हे०	पक्का मकान	8957/2022	बेदखली आदेश दिनांक 09.09.2022
7.	शम्भू	रामअयोध्या	0.008 हे०	पक्का दिवाल युक्त कटरैन	8958/2022	बेदखली आ दिनांक 13.12.2024
8.	निजामुद्दीन	मोहर अली	0.006 हे०	पक्का मकान	4215/2023	बेदखली आ दिनांक 17.11.2023
9.	फिरोज	रहमत अली	0.004 हे०	पक्का मकान	4216/2023	बेदखली आ दिनांक 16.11.2023
10.	कामेश्वर	बंधन	0.004 हे०	पक्का मकान	4217/2023	बेदखली आ दिनांक 16.11.2023
11.	बुटन	बंधन	0.004 हे०	पक्का मकान	4218/2023	बेदखली आ दिनांक 16.11.2023
12.	सुरेश	बंधन	0.010 हे०	पक्का मकान	4219/2023	बेदखली आ दिनांक 17.11.2023

उपरोक्त विवरण में क्रम संख्या 4 व 5 क्रमशः अनिरुद्ध पुत्र चनर व नथुनी पुत्र रामकिशुन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है व क्रम संख्या 1 प्रेमसागर पुत्र उदयभान का बेदखली आदेश के विरुद्ध कायमी वाद सं० – T202405200126887 न्यायालय में विचाराधीन है। क्रम सं० 2 अमित पुत्र रामगुदी, क्रम सं० 3 नारदमुनि पुत्र चनर, क्रम सं० 6 प्रदुमन पुत्र रामाज्ञा, क्रम सं० 7 शम्भू पुत्र रामअयोध्या, क्रम सं० 8 निजामुद्दीन पुत्र मोहर अली, क्रम सं० 9 फिरोज पुत्र रहमत अली,

Singh 03-02-2026

क्रम सं० 10 कामेश्वर पुत्र बंधन, क्रम सं० 11 बुद्दन पुत्र बंधन व क्रम सं० 12 सुरेश पुत्र बंधन का बेदखली आदेश न्यायालय से पारित है, परन्तु उपरोक्त कब्जेदार का एक मात्र मकान है जिसमें वर्तमान समय तक निवास करते हैं।

उक्त के क्रम में जिन कब्जेदारों का बेदखली आदेश न्यायालय से पारित है उनको अतिक्रमित भूमि से अधिकतम 15 दिवस में कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया गया है जो निम्नवत हैं- अमित पुत्र रामगुदी, नारदमुनी पुत्र चनर, प्रदुमन पुत्र रामाज्ञा, शम्भू पुत्र रामअयोध्या, निजामुदीन पुत्र मोहर अली, फिरोज पुत्र रहमत अली, कामेश्वर पुत्र बंधन, बुद्दन पुत्र बंधन व सुरेश पुत्र बंधन। शासनादेश सं०- 491/एक-2-2017-1 (सामान्य)/2017 दिनांक 16.05.2017 में वर्णित व्यवस्था में सार्वजनिक भूमि पर अध्यासित अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब व भूमिहीन व असहाय व्यक्तियों के आवास की व्यवस्था किये जाने के उपरांत उनको बेदखल करने की कार्यवाही किए जाने का शासनादेश वर्णित है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

(signature) 03-02-2026

महोदय,

ग्राम- जुबेलहरा, टप्पा- नावा, परगना- शाहजहाँपुर, तहसील व जिला- देवरिया में स्थित पोखरी की आराजी संख्या 196 रकबा 0.401 हे० के आंशिक भाग पर अवैध कब्जा कर पक्का मकान बना है जिनके विरुद्ध धारा 67 की कार्यवाही की गई है, जिसमें क्रम संख्या 04 व 05 का वाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा क्रम संख्या 01 का आदेश के विरुद्ध अपील विचाराधीन है, तथा शेष सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली का आदेश दिनांक 16-11-2023 आदि को पारित हो चुका है, जिसको खाली कराने हेतु अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है।

अस्तु आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(signature)
03-02-2026
R.I. B.D.

महोदय, रा०नि० की आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

(signature) 03/02/26
N-(illegible)

नोटिस

श्री........अमित पुत्र रामगुदी
निवासी ग्राम........फुलेहरा........
तप्पा........नगवा........
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम........फुलेहरा........ तप्पा........नगवा........में स्थित........पोखरी........की आराजी संख्या........196........ रकवा........0.006........हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक........07.09.2022........को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम........15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल / रा0नि0
[signature] 02.02.2026

नोटिस

श्री......नारद मुनी पुत्र चनर
निवासी ग्राम.......फुलेहरा.....................
तप्पा.............नागवा..............
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम.......फुलेहरा.......... तप्पा..........नागवा...................में स्थित.............पोखरी...................की आराजी संख्या.........196.......... रकवा...0.020...हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक....09.09.2022...को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से अपना कब्ज़ा अधिकतम....15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नारदमुनी

लेखपाल / रा0नि0
[signature] 02.02.2026

नोटिस

श्री......प्रदुमन पुत्र रामाज्ञा......
निवासी ग्राम......फुलेहरा......
तप्पा......नगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा...0.012...हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......07.07.2022को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिकमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

लेखपाल / रा0नि0
Singh
02.02.2026

पुत्री विजयलक्ष्मी

नोटिस

श्री......शम्भू पुत्र रामअयोध्या
निवासी ग्राम......फुलवरिया......
तप्पा......जगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलवरिया...... तप्पा......जगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा 0.002 हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......13.12.2025 को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिकमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15......दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

लेखपाल / रा0नि0
[signature] 02-02-2026

पत्नी
माया

नोटिस

श्री......निजामुद्दीन पुत्र मोहर्रम अली
निवासी ग्राम......फुलेहरा......
तप्पा......नगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा....0.006....हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......17.11.2023...को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिकमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15......दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

लेखपाल / रा0नि0

02-02-2026

नोटिस

श्री......फिरोज पुत्र रहमत अली

निवासी ग्राम......फुलेहरा......

तप्पा......नगवा......

तहसील–देवरिया सदर

जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा..0.005..हे0 पर अवैध अतिकमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्ध बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक.....16.11.2023को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15.......दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल/रा0नि0

Singh
02-02-2026

नोटिस

श्री......कोमरवा पुत्र बंधन......
निवासी ग्राम......फुलेहरा......
तप्पा......नगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा...0.0045..हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......16.11.2023......को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल / रा0नि0
[signature] 02-02-2026

नोटिस

श्री......बुद्धन पुत्र बंधन......
निवासी ग्राम......फुलेहरा......
तप्पा......नगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा...0.005...हे0 पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......16.11.2023को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिक्रमित भूमि से अपना कब्ज़ा अधिकतम....15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिक्रमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल / रा0नि0

Singh 02-02-2026

नोटिस

श्री......सुरेश पुत्र बैधन......
निवासी ग्राम......फुलेहरा......
तप्पा......नगवा......
तहसील–देवरिया सदर
जनपद–देवरिया।

एततद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम......फुलेहरा...... तप्पा......नगवा......में स्थित......पोखरी......की आराजी संख्या......196...... रकवा...0.010...हे0 पर अवैध अतिकमण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपके विरूद्व बेदखली का आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक......17.11.2022......को पारित है, किन्तु आप द्वारा उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में दी गयी सूचना के बावजूद अभी तक उक्त भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है।

उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अतिकमित भूमि से अपना कब्जा अधिकतम....15........दिवस में हटा ले, अन्यथा आपके द्वारा किये अतिकमण को हटवाते हुए, उस पर हुए व्यय भार की वसूली की कार्यवाही भी की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। यदि उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा किसी न्यायालय में वाद योजित किया गया हो तो आप उक्त के सम्बन्ध में अपना अभिलेख किसी भी कार्य दिवस में ससमय तहसीलदार देवरिया सदर के न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

नोटिस प्राप्त करने से मना किया।

लेखपाल / रा0नि0
(हस्ताक्षर) 02-02-2026

REGIONAL OFFICE GORAKHPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Jharkhandi Mahadev, Avas Vikas Colony, Kuda Ghat, Dooria Road, Gorakhpur

Certificate No TC-11612

TEST REPORT: WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

Ref no-35636954/Gorakhpur/2026 **Date: 07.02.2026**

1. **Sample Location:** Pond at Village Fulehra
2. **District:** Deoria
3. **Address:** Gata No.196, village Fulehra, Tahsil-Sadar, Deoria
4. **Sample Source:** Pond
5. **Type of sample:** Surface Water
6. **Sample Collected By:** Ayodhya Prasad , SA, R.M. Verma, SA
7. **Odour:** None
8. **Quantity and Packing:** 2Litter Plastic Jericane & DO Bottle
9. **Date of Sample Collection:** 30/01/2026
10. **Analysis Indented by:** RO Gorakhpur
11. **Date of sample receipt in Lab:** 30/01/2026
12. **Period of Analysis :** From : 30/01/2026, To : 04/02/2026
13. **Environmental Condition:** Temperature: 23^{0}c, Humidity: 48 %
14. **ULR Number :** -
15. **Sampling Plan/Ref. No. :** -
16. **Sampling Method Ref. :** APHA 24th Edition 2023- 1060 A, B, C, Page No.- 42- 52, Collection & Preservation of Samples.

S.N.	Parameter	Unit	Results	Detection Range
1	pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023, At 26.2^{0}C	-	7.57	02-12
2	Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	µS/cm	464	0.1-10000 µS/cm
3	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	308	5.0 -10000 mg/l
4	Hardness,APHA24thEd.2340CEDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	240	10.0 -5000 mg/l
5	Calcium, APHA 24th Ed. 3500Ca-B:2023	mg/l	172	10.0 -1000 mg/l
6	BOD, 3day27°IS 3025 (Part 44): 2023	mg/l	5.2	1.0 -1000 mg/l
7	COD,APHA24thEd.5220BOpenReflux Method 2023	mg/l	20	4.0 -1000 mg/l
8	D.O.,APHA24thEd.4500-OBIodometric Method 2023	mg/l	6.4	0.2-14.0 mg/l

Note:1 The results in the Test Report relate only to the items tested:2.There port shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory.3.The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* -NA

Analysed by
Alok Sharma(SEA)
Surya Mohan Pandey (JRF),
Ankita Dwivedi (JEA),

Authorized by
RAM MILAN VERMA Digitally signed by RAM MILAN VERMA Date: 2026.02.07 10:58:03 +05'30'
Ram Milan Verma (SA)

Ashutosh Chauhan Digitally signed by Ashutosh Chauhan Date: 2026.02.07 11:04:05 +05'30'
Regional Officer

UPPCB/GKP/7.8.2	Issue No.: 04	Issue Date:26.08.2022	Page No.: Page 1 of 2
Amendment No.:02	Amendment Date.:01.02.2025	Approved by: TM	Issued by: QM

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
DrinkingWaterSourcewithoutconventional treatment but after disinfection	A	TotalColiformsOrganismMPN/100mlshallbe50orlesspH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or moreBiochemicalOxygenDemand5days20°C2mg/lorless
Outdoor bathing (Organised)	B	TotalColiformsOrganismMPN/100mlshallbe500orlesspHbetween 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or moreBiochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinkingwatersourceafterconventional treatment and disinfection	C	TotalcoliformsOrganismMPN/100mlshallbe5000orlesspH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or moreBiochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pHbetween6.5to8.5DissolvedOxygen4mg/lormoreFree Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation,IndustrialCooling,ControlledWaste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 ElectricalConductivityat25°Cmicromhos/cmMax.2250Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/